



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276941
CG-DL-E-08102026-276941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2026/आश्विन 13, 1948

No. 790]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2026/ASVINA 13, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 861(अ).—औषधि नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद, बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिनमें ये प्रारूप नियम प्रकाशित हैं, जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, यू-6, वर्क हॉल- सी विंग, पहली मंजिल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली, 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं या drugsdiv-mohfw@gov.in पर ईमेल किए जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. (i) इन नियमों को औषधि (.... संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकता है।
(ii) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. औषधि नियम, 1945 में, नियम 65 में, उप-नियम (21) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“(22) अनुसूची एच, अनुसूची एच1 या अनुसूची एक्स में निर्दिष्ट औषधियों का कोई भी विज्ञापन केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।”

[फा. सं. एक्स 11014/05/2026-डीआर]

पुष्पेंद्र राजपूत, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच(1) दिनांक 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ...(अ), दिनांक..... द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2026

G.S.R. 861(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, U-6, Work Hall- C Wing, first floor, Kartavya Bhawan-1, New Delhi, 110001 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Drugs (.... Amendment) Rules, 2026.
(ii) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs Rules, 1945, in rule 65, after sub-rule (21), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(22) No advertisement of the drugs specified in Schedule H, Schedule H1 or Schedule X shall be made except with the previous sanction of the Central Government.”

[F. No. X.11014/05/2026-DR]

PUSHPENDRA RAJPUT, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F. 28-10/45-H(1) dated 21st the December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R.(E), dated.